



नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

ऑनलाईन ऑफ कॅम्पस काउंसिलिंग कार्यक्रम 2015-16

Diploma in Animal Husbandry (पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम) (स्ववित्तीय)

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित पशुपालन पत्रोपाधिप्रवेश परीक्षा 2015 (D.A.H.E.T.-2015) द्वारा घोषित परिणामों के आधार पर नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अधीन पत्रोपाधि महाविद्यालयों (जबलपुर, महु, रीवा, मुरैना एवं भोपाल) में द्विवर्षीय पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (स्ववित्तीय) में प्रवेश लेने के इच्छुक समस्त उम्मीदवार अर्हताकारी परीक्षा में मेरिट के आधार पर तालिका क्र. 1.1 में दिये गये श्रेणीवार प्राप्तांक प्राप्त या उससे अधिक प्राप्तांक प्राप्त समस्त अभ्यर्थी तालिका क्र. 1.2 में दर्शाये कार्यक्रमानुसार ऑनलाईन ऑफकॅम्पस काउंसिलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गांव से वेबसाईट www.mppcvv.org या www.crisponlineservices.com के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं।

तालिका क्र. 1.1 (Free & Payment Seats)

क्र.	श्रेणी	D.A.H.E.T.-2015 में प्राप्त प्राप्तांक
1	अनारक्षित श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी UR (F)	25 या अधिक
2	अनारक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थी UR (X)	33 या अधिक
3	अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी OBC (F)	30 या अधिक
4	अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी OBC(X)	33 या अधिक
5	अनु. जाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी SC (F)	28 या अधिक
6	अनु. जाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी SC (X)	29 या अधिक
7	अनु. जनजाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी ST (F)	29 या अधिक
8	अनु. जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी ST (X)	30 या अधिक

X = पुरुष/महिला, F = महिला

तालिका क्र. 1.2

पाठ्यक्रम	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान कर लॉक करना	निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन	आवंटन पत्रों की ऑनलाईन उपलब्धता एवं आंशिक प्रवेश शुल्क का भुगतान	आबंटित महाविद्यालय में शेष प्रवेश शुल्क के साथ उपस्थिति एवं प्रवेश
Diploma in Animal Husbandry	03/08/2015 से 18/08/2015 (रात 12 बजे तक)	17/08/2015 से 20/08/2015 (11 बजे से शाम 5 बजे तक)	24/08/2015 से 27/08/2015 (रात 12 बजे तक)	25/08/2015 से 28/08/2015 एवं 01/09/2015 से 03/09/2015 (11 बजे से शाम 5 बजे तक)

- प्रवेश नियम, काउंसिलिंग प्रक्रिया, उपलब्ध सीटें एवं शुल्क की विस्तृत जानकारी www.mppcvv.org तथा www.crisponlineservices.com पर उपलब्ध है जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- प्रवेश हेतु पशुपालन पत्रोपाधिप्रवेश परीक्षा 2015 पुस्तिका में दिये गये प्रवेश नियमों का पालन किया जावेगा।
- पेमेंट सीट पर मेरिट के आधार पर उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने व्यापम में आवेदन करते समय पेमेंट सीट के ऑप्शन पर टिक किया होगा या Yes लिखा होगा एवं पेमेंट सीट की अंकसूची उपलब्ध होगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का नाम व्यापम द्वारा प्रदत्त पशुपालन पत्रोपाधिप्रवेश परीक्षा 2015 के पेमेंट सूची में अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है।
- मूल दस्तावेजों (Original documents) का सत्यापन निम्नलिखित केंद्रों पर निर्धारित तिथियों में किया जावेगा –
 - पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर/रीवा/महु
- व्यापम पुस्तिका पशुपालन पत्रोपाधिप्रवेश परीक्षा 2015 में दर्शाये गये प्रारूप अनुसार ही वांछित प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य होगा।
- प्रथम चक्र की काउंसिलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् शेष रिक्त सीटों का महाविद्यालयवार एवं श्रेणीवार जानकारी www.mppcvv.org एवं www.crisponlineservices.com पर प्रदर्शित किया जावेगा एवं रिक्त सीटों का आबंटन द्वितीय चक्र में जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्व में हो चुका है उन्हीं अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर ऑन लाईन आबंटन किया जावेगा।
- फीस जमा करने के बाद काषन मनी के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस नहीं होगी।

क्र. 830/प.चि./अ.सं./2015, दिनांक:28.07.2015

अधिष्ठाता संकाय,
ना.दे.प.चि. वि.वि., जबलपुर

नानाजी देषमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

ऑनलाईन ऑफ केंपस काउंसलिंग प्रक्रिया – 2015–16

for Diploma in Animal Husbandry (based on D.A.H.E.T.-2015 result)

ऑनलाईन ऑफ केंपस काउंसलिंग हेतु प्रमुख छः स्टेप

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)
 2. ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन एवं ऑनलाईन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान
(Online preferences/choice filling and payment of online application/portal fee)
 3. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)
 4. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)
 5. ऑनलाईन आंशिक प्रवेश शुल्क का भुगतान
(Online payment of part Admission fee)
 6. आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थिति एवं शेष प्रवेश शुल्क का भुगतान
(Reporting in allotted College for Admission and Payment of Remaining Admission Fee)
- ✓ काउंसलिंग में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों तथा काउंसलिंग कार्यक्रम के आधार पर सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के समस्त अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी स्टेप्स 1 से 6 तक का पालन करना होगा।

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये सभी अभ्यर्थी वेबसाइट पर ऑनलाईन पंजीयन करवाएंगे। **पंजीयन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।** ऑनलाईन ऑफकेंपस काउंसलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गांव से वेबसाइट www.mppcvv.org या www.crisponlineservices.com के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं।

- सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को आई.डी. एवं पासवर्ड SMS/email द्वारा प्राप्त होगा।
- अगली बार अभ्यर्थी अपने आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगईन कर सकते हैं।

- सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिये पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो।
- अभ्यर्थी को यह सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है।
- पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा **Forget Password** पर क्लिक कर पासवर्ड **Reset** किया जा सकेगा।

2. ऑनलाईन प्राथमिकताक्रम का चयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान

(Online preferences/choice filling and payment of portal fee)

सफलतापूर्वक लॉगईन पश्चात अभ्यर्थी अपनी वांछित जानकारी का उपयोग कर पाठ्यक्रमवार संस्थाओं का प्राथमिकताक्रम से चयन कर सकेंगे। इस कार्यवाही के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा –

अभ्यर्थी कम से कम एक तथा अधिक से अधिक सभी उपलब्ध महाविद्यालयों/पाठ्यक्रम एवं फ्री (Free) / पेमेंट (Payment) सीटों का प्राथमिकतानुसार ऑनलाइन चयन कर सकेंगे तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क का भुगतान कर च्वाइस लॉक कर सकेंगे।

अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी इच्छित प्राथमिकताक्रम को अपनी संतुष्टि के लिये कई बार बदल सकते हैं। पोर्टल शुल्क का भुगतान करने के बाद इच्छित प्राथमिकताक्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा। अभ्यर्थियों को पोर्टल शुल्क रु. 550/- का ऑनलाइन भुगतान करना होगा जो कि वापसी योग्य नहीं (Non refundable) है। अपनी च्वाइस को लॉक करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा तथा उनकी च्वाइस (Choice) का क्रम प्राथमिकताक्रम के अनुसार मुद्रित होगा। **अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें।**

- शुल्क भुगतान के लिये निम्नलिखित दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।
 - इन्टरनेट बैंकिंग (समस्त बैंक)
 - एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा)

ऑनलाईन शुल्क भुगतान के समय किसी भी प्रकार की त्रुटि से विष्वविद्यालय जबाबदार नहीं होगा।

3. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

अभ्यर्थी द्वारा इच्छित प्राथमिकताक्रम को लॉक करने के पश्चात सर्वप्रथम सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का निकटस्थ निर्धारित केंद्रों से सत्यापित करवाना होगा—

- पशुपालन पत्रोपाधि प्रवेश परीक्षा 2015 की अंक सूची।
- हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी, इन्टरमीडियट (12th Class) की मूल अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र।
- चरित्र प्रमाण पत्र अन्तिम अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य का।
- स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
- यदि अभ्यर्थी किसी महाविद्यालय में दाखिला लिया है तो विष्वविद्यालय का प्रवसन (माइग्रेसन) प्रमाण पत्र।
- तत्काल की चार पासपोर्ट साइज फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने पर मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र।
- यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो उसका शपथ पत्र।
- पंजीयत चिकित्सक द्वारा रक्त समूह का विवरण व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- माता/पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक)
- ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भगुतान की पावती।
- पहचान पत्र (कोई भी एक की मूल प्रति) – परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस।

समस्त मूलदस्तावेजों का दो छायाप्रति (फोटोकापी) लाना अनिवार्य होगा।

निर्धारित केंद्रों पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे।

निर्धारित केंद्रों अभ्यर्थियों को Eligible/Not Eligible की पावती जारी करेंगे।

निम्नलिखित केन्द्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा।

1. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर
सिविल लाईन्स, जबलपुर रेल्वे स्टेशन के पास, जबलपुर (म.प्र.) दूरभाष. 0761-2621330
2. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महु
रसलपुरा महु – इन्दौर (म.प्र.) दूरभाष. 07324-276655
3. पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा
कुटुलिया फार्म, रीवा (म.प्र.) दूरभाष. 07662-221686

4. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)

पशुपालन पत्रोपाधि प्रवेश परीक्षा 2015 में प्राप्तांकों, अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकताक्रम, पशुपालन पत्रोपाधि प्रवेश परीक्षा 2015 के प्रवेश नियमों के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवंटन किया जावेगा तथा आवंटित संस्था/प्राध्यक्रम का उल्लेख आवंटन पत्र में होगा, जिसे वे अपने लॉगईन आईडी/पासवर्ड डालकर इसका प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे।

5. ऑनलाईन आंशिक प्रवेश शुल्क का भुगतान

(Online part payment of admission fee)

आवंटन के पश्चात विद्यार्थी द्वारा अपने लॉगईनआईडी/पासवर्ड का उपयोग कर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आंशिक प्रवेश शुल्क राशि रु. 5000/- का भुगतान करना होगा जो कि वापसी योग्य नहीं (Non refundable) है। आंशिक प्रवेश शुल्क रु. 5000/- के भुगतान के उपरांत ही अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश के पात्र होंगे। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान करने के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा मुद्रित होगा। **अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें तथा आवंटित संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत करें।**

6. आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थिति एवं शेष प्रवेश शुल्क का भुगतान

(Reporting in allotted College for Admission and Payment of Remaining Admission Fee)

अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था में आवंटन पत्र, आंशिक प्रवेश शुल्क भुगतान की पावती तथा अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक शेष शुल्क के साथ उपस्थित होंगे। शेष शुल्क आवंटित

महाविद्यालय में निर्धारित तिथि में प्रवेश हेतु अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। **कुल शुल्क भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश के पात्र होंगे।** कुल शुल्क निर्धारित

तिथि पर न जमा करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर उसकी सीट रिक्त मानी जायेगी एवं अगले प्रत्याषी को योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दे दिया जावेगा।

फीस जमा करने के बाद काषन मनी के अलावा अन्य कोई शुल्क वापस नहीं होगी।

अनारक्षित वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को समान रूप से नीचे दर्शायी गयी फ्री सीट एवं पेमेंट सीट के लिये निर्धारित शुल्क प्रवेश के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा।

कुल फीस:-

(क) फ्री सीट के अभ्यर्थियों के लिये -

प्रवेश शुल्क प्रथम छ:माही : 34,450/- + प्रवेश पत्र शुल्क 250/- = कुल योग 34,700/-

(ख) पेमेन्ट सीट के अभ्यर्थियों के लिये -

प्रवेश शुल्क प्रथम छ:माही : 54,450/- + प्रवेश पत्र शुल्क 250/- = कुल योग 54,700/-

(उपरोक्त शुल्क में से पूर्व में भुगतान किये गये रू. 5000/- घटाकर शेष शुल्क संबंधित महाविद्यालय में जमा करना होगा)

**अधिष्ठाता संकाय
ना.दे.प.चि. वि.वि., जबलपुर**

